



2026:AHC:41450

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट - सी सं. - 7355 वर्ष 2026

उपेंद्र सिंह एवं 9 अन्य

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

..... प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से अधिवक्ता : गिरजा शंकर प्रजापति, सौरभ श्रीवास्तव
प्रतिवादी(यों) की ओर से अधिवक्ता : अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तावित आदेश को दृष्टिगत रखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी कर इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखना किसी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा। तथापि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से स्वयं को प्रभावित/व्यथित अनुभव करता/करती है, तो उसे इस आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है कि प्रतिवादी संख्या 2, उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, तहसील जसवां, जनपद फिरोजाबाद को निर्देशित किया जाए कि वे उत्तर प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत लंबित कार्यवाही का शीघ्र निस्तारण करें।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत दायर आवेदन लम्बे समय से विचाराधीन है। इस स्तर पर उपधारा (3) का उल्लेख करना समीचीन होगा, जो यह अनिवार्य करता है कि ऐसा आवेदन दायर होने पर संबंधित प्राधिकारी को समयबद्ध अवधि में विधि के अनुसार उसका निस्तारण करना होगा। उपधारा (3) इस प्रकार है:

“(3). इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक कार्यवाही, यथासंभव, उपजिलाधिकारी द्वारा आवेदन की तिथि से तीन माह के भीतर निष्पादित की जाएगी।”



5. उपर्युक्त प्रावधान तथा पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आलोक में, प्रतिवादी संख्या 2, उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, तहसील जसवां, जनपद फ़ैरोज़ाबाद को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त मामले को ग्रहण कर उसका निस्तारण विधि के अनुसार, यथाशीघ्र और अधिमानतः प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर करें। अनावश्यक स्थगन न दिया जाए, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

6. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी पक्षों के तर्कों के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त नहीं किया है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

24 फरवरी, 2026

सकलैन